बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: संकल्प ::

पटना—15 दिनांक..................................

श्री उपेन्द्र झा, बि०प्र०से०, को० क्र०—265/08 (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सोन योजना, औरंगाबाद के पदस्थापन काल में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक—5103 दिनांक 02.06.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री झा के दिनांक 31.07.11 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप संकल्प ज्ञापांक—4966 दिनांक 03.04.12 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली—1950 के नियम—43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर संकल्प ज्ञापांक—3919 दिनांक 07.03.13 द्वारा श्री झा के पेंशन से 5 प्रतिशत कटौती (10 वर्षो तक) का निर्णय संसूचित किया गया। श्री झा ने इस क्रम में अपना पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया, जिसे विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक—11536 दिनांक 12.07.13 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री झा ने पेंशन कटौती आदेश के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया। एतद्संबंधी सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०—3013/16 में दिनांक 26.10.16 को न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :—

"For the reasons aforementioned, the impugned order bearing Memo No. 3919 dated 07-03-2013 impugned at Annexure-15 and the order bearing Memo No.11536 dated 12-07-2013 present at Annexure 'L' to the counter affidavit are quashed and set aside. In consequence the amount recovered from the pension of the petitioner, should be refunded with in three months from the date of receipt/production of a copy of this order.

The writ petition is allowed. "

उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री झा ने पेंशन कटौती संबंधी आदेश वापस लेने हेतु एक अभ्यावेदन (दिनांक 01.12.16) विभाग में समर्पित किया। विभागीय स्तर से न्यायादेश के विरूद्ध एल०पी०ए० दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस क्रम में महाधिवक्ता, बिहार द्वारा निम्न मंतव्य दिया गया :—

"In View of the fact as well as the legal propositios stated above I am of the considered poinion that preferring a Letters Patent Appeal against the order dated 26-10-2016 passed by learned single judge shall be a futile exercise and will impose unnecessary financial burden on the state exchequer. Opinion is recorded accordingly and the record is remitted back. "

इस प्रकार एल०पी०ए० दायर नहीं हो सकने की स्थिति में रीट याचिका में पारित आदेश का अनुपालन अपरिहार्य हो गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०—3013/16 में पारित न्यायादेश (दिनांक 26.10.2016) के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक—3919 दिनांक 07.03.2013 (श्री झा के पेंशन से 5 प्रतिशत कटौती (10 वर्षो तक) संबंधी आदेश) एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक—11536 दिनांक 12.07.2013 (श्री झा के पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करने संबंधी आदेश) वापस लिया जाता है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–60/2016, सा०प्र०..11699......../पटना, दिनांक..11–9–17

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/गया/ श्री उपेन्द्र झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–265/08 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) फ्लैट नं०–201, ड्रीम मेंसन अपार्टमेन्ट, विजय नगर, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14,/चारित्री कोषांग एवं आई0 टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.09.17

सरकार के अवर सचिव।